न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. अशोक कुमार RAS
राजस्व अपील संख्या : 24 / 2018

नीतू पारीक पुत्री स्व0 श्री लक्ष्मण पारीक, जाति–पारीक, निवासी–ग्राम बासबावडी, ग्राम पंचायत देवगुढा, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट,

बनाम

1. दिनेश पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण लाल पारीक, जाति–पारीक, निवासी–ग्राम बासबावडी, ग्राम पंचायत देवगुढा, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
2. अन्शु पारीक पुत्री स्व0 श्री विष्णु पारीक जरिये प्राकृतिक संरक्षक चाचा नागरमल पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण पारीक, जाति–पारीक, निवासी–ग्राम बासबावडी, ग्राम पंचायत देवगुढा, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
3. नागरमल पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मणलाल पारीक, जाति–पारीक, निवासी–ग्राम बासबावडी, ग्राम पंचायत देवगुढा, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
4. गीतादेवी पत्नी स्व0 श्री लक्ष्मणलाल पारीक, जाति–पारीक, निवासी–ग्राम बासबावडी, ग्राम पंचायत देवगुढा, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
5. सरोज पुत्री स्व0 श्री लक्ष्मणलाल पारीक, जाति–पारीक, निवासी–ग्राम बासबावडी, ग्राम पंचायत देवगुढा, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
6. रूडमल पुत्र रघुनाथ, जाति–जाट, निवासी–ग्राम अटलबिहारीपुरा, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
7. रामगोपाल पुत्र सुरजमल, जाति–जाट, निवासी–ग्राम मोडी तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
8. उपपंजीयक आमेर, जिला–जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, आमेर, जिला–जयपुर।
10. उपतहसीलदार, उपतहसील–जालसू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा उपतहसीलदार, जालसू तहसील–आमेर, जिला–जयपुर बाबत् नामान्तरकरण सं0 26 दिनांक 15.06.2016)

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र जोशी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. पेरोकार सरकार उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 7 बावजूद तामिल अनुपस्थित। उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 25.09.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा उपतहसीलदार, जालसू, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर द्वारा नामान्तरकरण सं0 26 दिनांक 15.06.2016 वाके ग्राम बासबावडी द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 1

Scanned by CamScanner

लगा0 7 के नाम इन्द्राज निरस्त किया जाकर 1/6 हिस्से की खातेदारी अपीलान्ट के नाम दर्ज करने हेतु पेश की गई है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। मातहत कार्यालय उपतहसीलदार, जालसू, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर से संबंधित मूल रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बासबावडी तहसील आमेर स्थित भूमि निम्न प्रकार थी :–

क्र.स.	ख0नं0	रकबा (हेक्ट.)	किस्म
1.	43/125	0.05	गैर–मुमकिन रास्ता
2.	44	0.16	गैर–मुमकिन रास्ता
3.	45	0.59	बारानी ए
4.	46/142	0.12	बारानी ए
5.	53/165	0.03	गैर–मुमकिन रास्ता
6.	54	0.63	चाही प्रथम
7.	55/129	0.04	चाही प्रथम
8.	56	0.98	चाही प्रथम, जाव प्रथम
9.	57	0.02	गैर–मुमकिन चाह
10.	58	0.98	चाही प्रथम
11.	59	1.26	जाव प्रथम, चाही प्रथम
12.	61	0.57	चाही प्रथम, जाव प्रथम
13.	63/166	0.06	चाही प्रथम
14.	67	0.50	जाव प्रथम, चाही प्रथम
15.	71/161	0.11	बारानी प्रथम
16.	72	0.82	बारानी प्रथम
17.	92/133	0.13	बारानी प्रथम
18.	93	0.45	बारानी प्रथम
19.	94	0.16	बारानी प्रथम
20.	99	0.52	बारानी प्रथम
21.	104/163	0.04	बारानी प्रथम
22.	112	0.20	बारानी प्रथम
23.	117	1.43	बारानी प्रथम
24.	कुल किता 23	9.85	

उक्त भूमि अपीलार्थिया के पिता स्व0 लक्ष्मणलाल पुत्र श्योसहाय का हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज था एवं बासबावडी स्थित खाता सं0 नई 12 पुरानी 12 की भूमि निम्नानुसार थी।

क्र.स.	ख0नं0	रकबा	किस्म
1.	3	0.46	चाही तृतीय
2.	14	0.63	चाही तृतीय
3.	52	0.02	बंजड
4.	53	0.14	गैर–मुमकिन रास्ता
5.	54/145	0.05	बंजड

Scanned by CamScanner

6.	60	0.36	गैर–मुमकिन रास्ता
7.	63	0.46	चाही प्रथम, जाव प्रथम
8.	64	0.09	चाही प्रथम
9.	70	0.16	बारानी प्रथम
10.	72 / 148	0.05	बारानी प्रथम
11.	75	0.41	गैर–मुमकिन रास्ता
12.	77	0.13	चाही प्रथम
13.	78	0.13	चाही प्रथम
14.	79	0.12	चाही प्रथम
15.	82 / 173	0.06	गैर–मुमकिन रास्ता
16.	83	0.19	गैर–मुमकिन रास्ता
17.	91 / 130	0.01	गैर–मुमकिन चाह
18.	91 / 131	0.02	बारानी प्रथम
19.	92 / 132	0.05	बारानी प्रथम
20.	96	0.28	चाही प्रथम
21.	97	0.27	चाही प्रथम, जाव प्रथम
22.	98	0.35	चाही प्रथम
23.	99 / 150	0.12	चाही प्रथम
24.	111	0.10	गैर–मुमकिन रास्ता
25.	कुल किता 24	4.66	

उक्त भूमि मे से अपीलार्थिया के पिता का हिस्सा 1/9 राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अमल था।

ग्राम बासबावडी स्थित खाता सं0 नई 23 पुरानी 25 की भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.स.	ख0नं0	रकबा	किस्म
1.	70 / 167	0.09	बारानी प्रथम
2.	71	0.67	बारानी प्रथम
3.	कुल किता 2	0.76	

उक्त भूमि में से अपीलार्थिया के पिता का हिस्सा 1/9 राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अमल था एवं ख0नं0 62 रकबा 0.06 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 हे0 भूमि में अपीलार्थिया के पिता का हिस्सा 57/128 भाग का हिस्सा 1 /3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। उक्त वर्णित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति है जिसे अपीलार्थिया के पिता स्व0 लक्ष्मणलाल पुत्र श्योसहाय अपने जीवन काल से ही उपयोग उपभोग करते आ रहे थे। अपीलार्थीया के पिता का स्वर्गवास दिनांक 05.09.2002 को हो चुका है। अपीलार्थीया के पिता का सजरा खानदान निम्न प्रकार है।

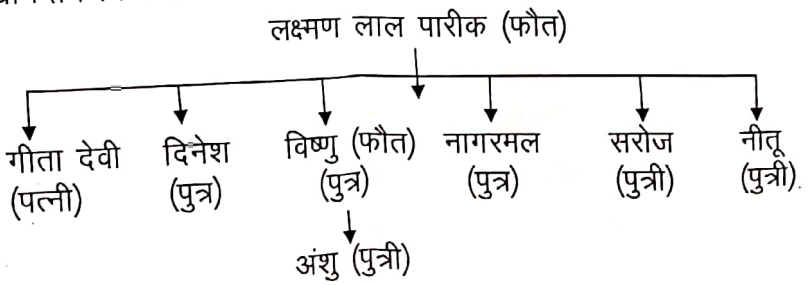

Scanned by CamScanner

अपीलार्थीया के पिता लक्ष्मणलाल के स्वर्गवास के पश्चात् अपीलार्थीया अपने पिता की सम्पति में 1/6 हिस्से की प्राकृतिक मालिक एवं स्वामीनी है परन्तु रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 4 द्वारा मिली भगत कर अपीलार्थिया को वादग्रस्त भूमि में वारिसान के आधार पर प्राप्त प्राकृतिक हिस्से का दिनांक 11.11.2010 को उपपंजीयक चौमू, जिला–जयपुर के यहां हक त्याग पंजीबद्ध करवा लिया। जबकि उक्त किये गये हकत्याग के निष्पादन के समय अपीलार्थीया अवस्यक बालिका थी जिसे रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 4 ने बहला फुसलाकर हक त्याग पर हस्ताक्षर करवा लिये तथा रेस्पो0 सं0 9 तहसीलदार आमेर ने बिना कोई जांच किये नामा0 26 दिनांक 8.12.2010 द्वारा रेस्पो0 सं0 1 लगायत 4 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का नामा0 स्वीकार कर लिया जबकि अपीलार्थी दिनांक 11.11.2010 को अव्यस्क होने के कारण हकत्याग करने में असमर्थ थी। जिसके संबंध में अपीलार्थीया द्वारा माननीय अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट पश्चिम जयपुर महानगर में दीवानी वाद संख्या 404/13 निर्णय दिनांक 08.10.2014 द्वारा अपीलार्थिया के हक व हिस्से तथा हकत्याग दिनांक 11.11.2010 को निरस्त कर दिया।

उक्त सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.10.2014 की पालना में तहसीलदार आमेर द्वारा प्रकरण सं0 19/15 दिनांक 18.01.2016 को निर्णय पारित कर अपीलार्थिया को विष्णु पुत्र स्व0 लक्ष्मण द्वारा विक्रय की गई भूमि को छोडते हुए शेष भूमि का नामा0 स्व0 लक्ष्मण पुत्र श्योसहाय के वारिसान गीता देवी पत्नी स्व0 लक्ष्मण, दिनेश, नागरमल पुत्रान लक्ष्मण व नीतू व सरोज पुत्रियां स्व0 लक्ष्मण के नाम उनके हिस्से अनुसार दर्ज करने का निर्णय पारित किया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थिया द्वारा तहसीलदार आमेर को एक रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे तहसीलदार आमेर द्वारा रिव्यू प्रा0 पत्र स्वीकार करने पर दिनांक 15.03.2016 को उप तहसीलदार जालसू द्वारा अपीलार्थिया के खाता सं0 9 को छोडकर अन्य खातों में अपीलार्थिया के नाम स्व0 लक्ष्मण पुत्र श्योसहाय के हिस्से में 1/6 के स्थान पर 1/8 हिस्सा अपीलाधीन नामा0 खोल दिया। जबकि 1/8 की जगह 1/6 का नामा0 खुलना चाहिए था एवं विष्णु पुत्र लक्ष्मण द्वारा रेस्पों सं0 6 लगायत 7 को जो भूमि बेची गई थी उसमें भी हकत्याग दिनांक 11.11.2010 में वर्णित भूमि थी। वर्तमान में अपीलार्थिया के हक व हिस्से पर हकत्याग दिनांक 11.11.2010 का कोई प्रभाव नहीं रहा ऐसी स्थिति में विष्णु पुत्र स्व0 लक्ष्मण द्वारा रेस्पो0 सं0 6 व 7 को बेची गई कृषि भूमि में से भी अपीलार्थिया का 1/36 हिस्सा अपीलार्थिया के नाम दर्ज होना चाहिए था। रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 7 द्वारा गलत आधारों पर अपने पक्ष में नामान्तरकरण सं0 26 दिनांक 15.06.2016 स्वीकृत करवा लिया गया है। अतः उक्त नामान्तरकरण विधि–विरूद्ध होने के कारण निरस्त

Scanned by CamScanner

किये जाने योग्य है। अतः उक्त नामान्तरकरण में रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 7 के नाम का इन्द्राज निरस्त किया जा कर उसका खातेदारी इन्द्राज स्व0 लक्ष्मण पारीक पुत्र स्व0 श्री श्योसहाय पारीक की कृषि भूमि में 1/6 हिस्सा अपीलार्थिया के नाम दर्ज कराये जाने के आदेश पारित किये जावें।

रेस्पोडेन्ट् सं0 1 लगा0 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

रेस्पोडेन्ट सं0 8, 9, 10 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति है जिसे अपीलार्थिया के पिता अपने जीवनकाल से ही उपयोग उपभोग करते आ रहे थे। अपीलार्थिया के पिता का स्वर्गवास होने पर अपीलार्थिया अपने पिता की सम्पति में 1/6 हिस्से की प्राकृतिक मालिक एवं स्वामिनी है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 4 द्वारा मिली–भगत कर वादग्रस्त भूमि में से अपीलार्थिया के प्राकृतिक हिस्से का दिनांक 11.11.2010 को पंजीबद्ध हकत्याग करवा लिया था। जबकि उक्त किये गये हकत्याग के निष्पादन के समय अपीलार्थिया अवयस्क बालिका थी तथा अपीलार्थिया को बहला फुसला कर हकत्याग पर हस्ताक्षर करवा लियें। जिसे रेस्पोडेन्ट सं0 9 तहसीलदार, आमेर द्वारा बिना जांच किये नामान्तरकरण सं0 26 दिनांक 08.12.2010 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 4 के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकार करवा लिया जिसको माननीय सिविल न्यायालय द्वारा अपीलार्थिया के हक व हिस्से तक हकत्याग दिनांक 11.11.2010 को निरस्त कर दिया। न्यायालय अति. कलक्टर तृतीय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर निर्णय दिनांक 08.04.2015 द्वारा नामान्तरकरण सं0 26 दिनांक 08.12.2010 को निरस्त करते हुए तहसीलदार, आमेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि स्व0 लक्ष्मण पारिक के विधिक वारिसान की जांच करते हुए पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावें। तहसीलदार, आमेर द्वारा अति. कलक्टर तृतीय के निर्णय दिनांक 08.04.2015 की पालना में प्रकरण सं0 19/2015 उनवानी नीतू पारिक बनाम दिनेश वगै0 में दिनांक 18.01.2016 को नीतू पारिक को 1/6 हिस्सा दिया जाना न्यायोचित अंकित करते हुए वादग्रस्त भूमि में विष्णू पुत्र लक्ष्मण द्वारा विक्रय की गई भूमि को छोडते हुए शेष भूमि का नामान्तरकरण लक्ष्मण पुत्र श्योसहाय के वारिसान के नाम उनके हिस्से अनुसार दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया। इसके पश्चात् अपीलार्थिया द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए स्व0 लक्ष्मण पुत्र श्योसहाय की विरासत में हिस्सा 1/6 प्रार्थिया नीतू पारिक के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात् लोक

Scanned by CamScanner

अदालत न्याय आप के द्वार अभियान कैम्प ग्राम बरना में पूर्व में लक्ष्मण पुत्र श्योसहाय की विरासत का नामान्तरकरण निरस्त करते हुए तहसीलदार, आमेर के आदेश की पालना में दिनांक 15.06.2016 को उप–तहसीलदार, जालसू द्वारा अपीलार्थिया के खाता सं0 9 को छोडकर अन्य खातो में अपीलार्थिया के नाम स्व0 लक्ष्मण पुत्र श्योसहाय के हिस्से में 1/6 की जगह 1/8 हिस्सा अपीलाधीन नामान्तरकरण के जरिये खोल दिया गया। जबकि 1/8 की जगह 1/6 का नामान्तरकरण खुलना चाहिए था एवं विष्णु पुत्र लक्ष्मण के द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 6 एवं 7 को बैची गई भूमि में से भी अपीलार्थिया का 1/36 हिस्सा अपीलार्थिया का नाम दर्ज होना चाहिए था। अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 26 दिनांक 15.06.2016 बिना किसी कानूनी प्रावधान के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 तथा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1956 के विपरीत व उसकी अवहेलना कर तस्दीक किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम विपरीत होने के कारण प्रभाव शून्य व बेअसर होने के कारण निरस्त किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस कथन किया कि उप–तहसीलदार, जालसू द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण विधि अनुसार उचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति है। अपीलार्थिया के पिता स्व0 लक्ष्मणलाल पुत्र श्योसहाय पारिक का स्वर्गवास होने पर अपीलार्थिया अपने पिता की सम्पति में 1/6 हिस्से की प्राकृतिक मालिक एवं स्वामिनी हुई है। अपीलार्थिया के अवयस्क बालिका होने पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 4 के द्वारा अपीलार्थिया से दिनांक 11.11.2010 को हकत्याग करवा लिया। जिसे माननीय सिविल न्यायालय द्वारा अपीलार्थिया के हक व हिस्से तक हकत्याग दिनांक 11.11.2010 को निरस्त कर दिया गया। इसके पश्चात् तहसीलदार, आमेर द्वारा प्रकरण सं0 19/2015 उनवानी नीतू पारिक बनाम दिनेश वगै0 में दिनांक 18.01.2016 को निर्णय पारित करते हुए नीतू पारीक का हिस्सा 1/6 होना न्यायौचित माना गया है। वादग्रस्त भूमि में से विष्णु पुत्र लक्ष्मण द्वारा विक्रय की गई भूमि को छोडते हुई शेष भूमि का नामान्तरकरण स्व0 लक्ष्मण पुत्र श्योसहाय के वारिसान के नाम उनके हिस्से अनुसार दर्ज करने का निर्णय किया गया। परन्तु इसके पश्चात् तहसीलदार द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र को सुनकर रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए स्वर्गीय लक्ष्मण पुत्र श्योसहाय की विरासत में 1/6 हिस्सा प्रार्थिया नीतू पारीक के नाम दर्ज करने के आदेश जारी किये गये। जिसकी पालना में उप तहसीलदार, जालसू द्वारा अपीलार्थिया के खाता सं0 9 को छोडकर अन्य खातों में अपीलार्थिया के नाम स्व0

Scanned by CamScanner

लक्ष्मण पुत्र श्योसहाय के हिस्से में 1/6 की जगह 1/8 हिस्सा अपीलाधीन नामान्तरकरण के जरिये खोल दिया गया। जबकि 1/8 की जगह 1/6 हिस्से का नामान्तरकरण खुलना चाहिए था। विष्णु पुत्र लक्ष्मण द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 6 व 7 को जो भूमि बैची गई थी उसमें भी हकत्याग दिनांक 11.11.2010 में वर्णित भूमि थी। ऐसी स्थिति में विष्णु पुत्र लक्ष्मण द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 6 व 7 को बैची गई कृषि भूमि में से भी अपीलार्थिया का हिस्सा दर्ज होना चाहिए था जो उपतहसीलदार, जालसू द्वारा दर्ज नही किया गया है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जा कर वादग्रस्त नामान्तिरकरण सं0 26 दिनांक 15.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, आमेर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वे श्री लक्ष्मण पुत्र श्योसहाय के वारिसान के जायज हिस्से की पुनः जांच कर विधि–सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावें। पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे इजलास आज दिनांक 25.09.2019 को सुनाया गया।

(डॉ अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर

Scanned by CamScanner